

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर- 474006



Government of India
Ministry of Finance
Central Bureau of Narcotics
19, The Mall Road, Morar, Gwalior
(M.P.) - 474006

(PBX) : (91) 751-2368996/ 2368997; FAX: (91) 751-2368111/ 2368577; E-MAIL: narcommr@cbn.nic.in

F.No. II(3)28/Estt/Transfer-Grades/2022 -1690 Dated 28 June, 2024

Establishment Order No 18/2024

Consequent upon consideration of request of the following officer in the grade of LDC, he is hereby transferred (on loan basis) to P&I Cell, New Delhi, Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance. The period of loan will be for a period of two years initially and can be extended for one year at the discretion of Competent Authority.

Name	DOB	Designation	From	To
Shri Mahip Pratap Chauhan	07.01.1998	LDC	O/o Narcotics Commissioner, Gwalior	P&I Cell New Delhi

- Shri Mahip Pratap Chauhan, LDC shall stand relieved in the afternoon of 28.06.2024. Before being relieved, the officer shall properly handover the charge/Documents/items etc., if any allotted to him by the office. Date of joining may be intimated to this office promptly.
- The above officer may note that he is deemed to have been relieved on the date of expiry of the loan period unless the competent authority has, with requisite approval, extended the period of loan in writing, prior to its date of expiry.
- The above officer availing transfer on loan basis under this policy will not be entitled to any joining time and transfer travelling allowance.
- This issues with the approval of Narcotics Commissioner.

sd

(Manoj Kumar)
Assistant Narcotics Commissioner

To,

Shri Mahip Pratap Chauhan, LDC
O/o Narcotics Commissioner, Gwalior

Copy to:

- PS to NC/DNC, CBN, Gwalior.
- PA to ANC(Accounts)/ANC(Admin).
- Superintendent, P&I Cell, New Delhi.
- Accounts, CBN, Gwalior.
- Pay Bill/PAO, CBN, Gwalior.
- Website/Guard File.

Manoj Kumar
28/6/24

(Manoj Kumar)
Assistant Narcotics Commissioner



स्थापना आदेश संख्या 18/2024

निम्नलिखित एलडीसी ग्रेड के अधिकारी के अनुरोध पर विचार करने के परिणामस्वरूप, उन्हें पी एण्ड आई सेल, नई दिल्ली, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, वित्त मंत्रालय में (ऋण के आधार पर) स्थानांतरित किया जाता है। ऋण की अवधि शुरू में दो साल की अवधि के लिए होगी और सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

नाम	जन्म तिथि	पदनाम	से	तक
श्री महीप प्रताप चौहान	07.01.1998	एलडीसी	नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर	पीएंडआई सेल नई दिल्ली

2. श्री महीप प्रताप चौहान, एलडीसी 28.06.2024 की दोपहर को कार्यमुक्त हो जाएंगे। कार्यमुक्त होने से पहले, अधिकारी को कार्यालय द्वारा उन्हें आवंटित किए गए प्रभार/दस्तावेज/वस्तुएं आदि को ठीक से सौंपना होगा। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि इस कार्यालय को तुरंत सूचित की जाए।

3. उपरोक्त अधिकारी कृपया ध्यान दें कि ऋण अवधि की समाप्ति की तिथि पर उन्हें कार्यमुक्त माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने अपेक्षित अनुमोदन के साथ ऋण की अवधि को समाप्ति की तिथि से पूर्व लिखित रूप में विस्तारित नहीं कर दिया हो।

4. इस नीति के अंतर्गत ऋण के आधार पर स्थानांतरण का लाभ उठाने वाले उपरोक्त अधिकारी को किसी भी कार्यभार ग्रहण अवधि और स्थानांतरण यात्रा भत्ते का हकदार नहीं माना जाएगा।

5. यह नारकोटिक्स आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(मनोज कुमार)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त